(29)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

R -1- PBR/15 (R-1-PBR/15)

1— गोविंद पिता हिरा जाति सुतार

2— दिनेश पिता गोविंद जाति सुतार

3— महेश पिता गोविंद जाति सुतार

4— सुनिल पिता गोविंद जाति सुतार

5— संतोष पिता गोविंद जाति सुतार

सभी धंधा खेती व निवासी ग्राम भरडपुरा तह0 मनावर जिला धार

.....................निगरानीकर्ता

बनाम

1— रमेश पिता चंपालाल जाति पाटीदार

2— मंशाराम पिता हरी जाति पाटीदार

3— देवजी पिता रूपाजी जाति पाटीदार

4— रामेश्वर पिता रूपांजी जाति पाटीदार

5— मोतीलाल पिता मडिया जाति भील

6— बुदा पिता मडिया जाति भील

7— हिरा पिता मडिया जाति भील

8— मोहन पिता नानजी जाति पाटीदार

9— रूखडिया पिता हरि जाति पाटीदार

10— पुना पिता सकरू जाति भील

11— बद्री पिता रूपाजी जाति पाटीदार

12— सीताराम पिता रूपाजी जाति पाटीदार

13— सुरेश पिता हरि जाति पाटीदार

14— मंगल पिता दगडु जाति पाटीदार

क्र. 1 लगायत 14 सभी निवासी ग्राम भरडपुरा तहसील मनावर जिला धार

15— हिरा पिता छितर जाति पाटीदार

16— शंकर पिता हरि जाति पाटीदार

17— शमशेर खां पिता कासम खां जाति मुसलमान

01.1.15

1.1.15

1-1-15

8817759417

18– बशीर खां पिता कासम खां जाति मुसलमान

19– अब्दुल बाकीर पिता हकदात खां जाति मुसलमान

20– सिताब खां पिता नजीर खां जाति मुसलमान

21– हयात खां पिता नजीर खां जाति मुसलमान

22– शोभाराम राणे पटवारी

23– नासीर पिता गुल मोहम्मद जाति मुसलमान

24– मोहन पिता नत्थुलाल जाति सुतार

25– सिराज खां पिता सिताब खां जाति मुसलमान

क्र. 15 लगायत 25 सभी निवासी मनावर

तहसील मनावर जिला धार

26– मट्टुबाई बेवा गणपत जाति कलाल

27– ओमप्रकाश पिता गणपत जाति कलाल

28 महेश पिता हिराजी जाति कलाल

29– शिवराम पिता छगनलाल जाति कलाल

30– चंपालाल पिता कुंवरजी जाति कलाल

क्र.26 लगायत 30 निवासी

ग्राम हनुमंत्या तह मनावर जि0 धार ....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 भू0रा0सं0 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम भरडपुरा तहसील मनावर की भूमि सर्वे नंबर 38/1 व 38/2 उनकी निजी है उसमें से कभी भी मूल प्रकरण के प्रार्थीगण और वर्तमान निगरानी के विपक्षीगण का कभी भी रास्ता नही रहा न 20 फिट था न रूढीगत था न 100 साल से था यह सब होते हुए बैलगाडी ट्रैक्टर आदि का न होते हुए 29.11.2014 का असत्य वाद कारण कहकर काल्पनिक बात कहकर इस निगरानी के विपक्षीगण ने अर्जी दी और प्रकरण में राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/2014–15/अ–13 पर पेश होकर तहसीलदार मनावर ने उक्त अर्जी लेकर अर्जी के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण न भेजते हुए सभी को विधिक तामिल नही होते हुए और कोई दस्तावेजी कापी हमे नही दी गई जो विधि से लाजमी थी इसके बावजूद प्रकरण 05.12.2014 को नियत था उस रोज प्रीसाईड

आफिसर मोजुद नही था रीडर ने जो कार्य करने का हक नही है वह किया व दिनांक 12.12.14 तारीख लगा दी व 15.12.14 लगा दी उक्त दिनांक न तो जवाब के लिए थी न स्थल निरीक्षण के प्रकरण था और 15.12.14 को प्रकरण बिना हमे सूचना के बिना हमारा जवाब लिये बिना हमे युक्तियुक्त सुनवाई का मौका दिये अनावेदकगण प्रकरण में तहसील में उपस्थित रहे लेकिन तहसील में मिसल नही निकली व संबंधित प्रिसाइडिंग आफिसर मोके पर प्रकरण ले गये बिना तर्क सुने आदेश पारित करने के लिए रख दिया गया व 18.12.14 को आदेश पारित कर दिया और एकपक्षीय कर दिया यह सारी कार्यवाही विचाराधिकार रहित है नेचुरल जस्टीस के विरूद्ध है अतः आज्ञा विचाराधिकार रहित है अवैध है। मामले में पंचनामा रिपोर्ट मनमानी है बिना युक्तियुक्त सुनवाई के आज्ञा विचाराधिकार रहित है सुनवाई है मेरी निजी जमीन में नवीन मार्ग का ज्युरिसडिक्शन नही है कोई मार्ग का एक्जीसटेंस मौके पर नही है राजनितिक प्रभाव के कारण अनेक लोगो की अर्जी विधि से मेंटेनेबल नही है यह सब होते हुए आज्ञा तहसीलदार मनावर ने दी जो अवैध है बिना जवाब के परवर्स है नवीन स्टेटस नवीन तथ्य जो मौके पर प्रार्थना दिनांक को नही है उसे आदेशात्मक स्वरूप की आज्ञा देने की तहसील को नही है यह सब होते हुए दिनांक 18.12.14 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज निम्न अर्ज निम्न आधारो पर पेश है :–

आधार निगरानी

1– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा इररेगुलर इललिगल है बिना सुनवाई के है कोई अर्जेन्सी भी नही है अन्य सर्वसुविधायुक्त मार्ग है यों भी धारा 131 भूरासं मुजब नवीन मार्ग देने का ज्युरिसडिक्शन निजी जमीन में न तो राजस्व प्रपत्रो में है न नक्शे है न ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण है नक्शा और पंचनामे में उल्लेख नही है पंचनामा व रिपोर्ट में उल्लेख मनमाना है बिना विधिक सुनवाई के है इंकार की बात झुठी फर्जी है बनावटी है ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से हमारी निजी भूमि में देने के लिए शुरू से ही मन बना लिया है इसलिए 15.12.14 को प्रकरण नियत था जवाब आना था जवाब के लिए नियत होना था ऐसा न कर तहसीलदार महोदय ने एकपक्षीय कार्यवाही करने की नितय से व मूल प्रकरण के प्रार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए व हमारी कीमती जमीन में कोई एक्जीसटेंस रास्ते का न होते हुए रास्ता कायम कराने की नियत से मूल प्रकरण के प्रार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए जिस काम के लिए प्रकरण नही था वह काम किया व बिना मौके पर जाये पंचनामा व रिपोर्ट बनाकर बिना हमें सुने आज्ञा पारित की है यह सारी कार्यवाही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 01/पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित एवं अनावेदक क्र. 5 से 7, 14 एवं 21 के अलावा शेष अनावेदकगण की ओर से दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	